

भारत सरकार Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management
प्रवर्तन अनुभाग Enforcement Section

वि.सा.भवन V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर Anushakti Nagar,
मुंबई Mumbai 400 094.
दूरभाष Telephone:25487217/25487267

संदर्भ: निसेसंप्रनि/प्रवर्तन/ई-1131/2023 /1693
Ref: DCSEM/Enft/e-1131/2023

अक्टूबर October 10, 2023

परिपत्र CIRCULAR

विषय: आबंटितियों के अलावा अन्य से प्राप्त शिकायतों के संबंध में।
Sub: Complaints received from other than allottees – reg.

हाल ही में, अणुशक्तिनगर के निवासियों से विभिन्न मुद्दों जैसे कि पड़ोसियों द्वारा उपद्रव या उत्पीड़न, अन्य सामान्य मुद्दे आदि पर कई शिकायतें इस निदेशालय में प्राप्त हो रही हैं।

Of late, several complaints are being received in this Directorate from the residents of Anushaktinagar on various issues like nuisance or harassment from neighbours, other general issues etc.

2. इस संबंध में, यह ध्यान दें कि एक बार जब किसी कर्मचारी को विभागीय आवासीय क्वार्टर आबंटित किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना आबंटित की एकमात्र जिम्मेदारी बन जाती है कि वह और उसके परिवार के सदस्य अन्य निवासियों के साथ अपने मुद्दों/विवादों को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से हल करें और एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण और सौहार्द्रपूर्ण संबंध बनाए रखें। ऐसा न करने की स्थिति में और यदि उनके खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो आबंटन नियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए आबंटित को जिम्मेदार माना जाएगा और आबंटन रद्द होने के लिए उत्तरदायी होगा।

In this regard, it may be noted that once the departmental residential quarter is allotted to an employee, it becomes the sole responsibility of the allottee to ensure that he/she and his/her family members resolve their issues/disputes with other residents amicably and maintain peaceful and harmonious relation with each other. In case of failure to do so and if any complaint is received against them, the allottee shall be deemed responsible for any violation of Allotment Rules and the allotment will be liable for cancellation.


3. इसी प्रकार, यदि आबंटित के परिवार के सदस्यों को कॉलोनी के किसी अन्य निवासी के खिलाफ कोई शिकायत है, तो उन्हें इसे आबंटित के ध्यान में लाना चाहिए और शिकायत को आबंटित के माध्यम से ही इस निदेशालय को भेजा जाना चाहिए।

Similarly, if the family members of the allottee have any complaints against another resident of the colony, they should bring it to the notice of the allottee and the complaint should be sent to this Directorate through the allottee only.

4. इसलिए यह सूचित किया जाता है कि अब से शिकायतें केवल संबंधित आबंटितियों के माध्यम से ही भेजी जानी चाहिए। आबंटितियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों की जांच इस निदेशालय द्वारा नहीं की जाएगी।

It is therefore informed that henceforth the complaints shall be routed through the respective allottees only. Complaints received from any person other than the allottees will not be examined by this Directorate.

5. यह निदेशक, निसेसंप्रनि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Director, DCSEM.


09.X-23

(एस एस गोंडाणे S.S. Gondane)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी Chief Administrative Officer

अणुशक्तिनगर/ मुंबई के पड़वि कोलोनियों के सभी आबंटित - रखरखाव इकाइयों के के माध्यम से - प्रदर्शन/व्यापक प्रचार हेतु
All the allottees of Anushaktinagar/DAE Colonies in Mumbai - Through: Respective Maintenance Units - for display/wide publicity.

प्रतिलिपि Copy to:

1. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर Chief Security Officer, Anushaktinagar.
2. मुंबई स्थित सभी पड़वि यूनिटों के प्रधान - उनकी इकाई में कर्मचारियों के बीच संचलन के लिए
Administrative Heads of all Units of DAE – For circulation among the employees in their unit.
3. महासचिव आरवा/मारवा/डब्ल्यूएसआरडब्ल्यू General Secretary, ARWA/MRWA/WSRWA
4. निसेसंप्रनि वेबसाइट DCSEM website.